सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 अग्रहायण, 1941 (श०)

संख्या- 1003 राँची, मंगलवार, 3 दिसम्बर, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

27 नवम्बर, 2019

कृपया पढ़े:-

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का ज्ञापन संख्या-5137 (अनु०), दिनांक 11.07.2018
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग का संकल्प संख्या-7644 दिनांक 12.10.2018 एवं संकल्प संख्या-7575 दिनांक 18.09.2019

संख्या-1/आ०-545/2017 का.-9414-- श्री उमा शंकर सिंह, भा.प्र.से. (झाः2009), तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के विरूद्ध विभागीय ज्ञापन संख्या-5137 (अनु०) दिनांक 11.07.2018 के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के रूप में पदस्थापन अवधि में बरती गयी निम्नलिखित अनियमितता के लिए आर्टिकल्स ऑफ चार्जेज, इम्प्यूटेशन ऑफ मिसकंडक्ट एवं मिसविहैवियर तथा साक्ष्यों की तालिका निर्गत की गयी:-

श्री सिंह द्वारा तत्कालीन अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के कार्यकाल में रिखिया हाट स्थित तीन दुकानों की बन्दोबस्ती एक ही परिवार के तीन सदस्यों- (i) श्री कैलाश चन्द्रराव, पिता-स्व० तीतू राव (ii) श्रीमती पुष्पा देवी, पति श्री शिव पूजन वर्मा, पिता- श्री कैलाश राव तथा (iii) श्रीमती मंजू देवी, पति-श्री कैलाशचन्द्र राव को किया गया जो नियम विरूद्ध है।

श्री सिंह द्वारा उक्त तीनों दुकानों की बन्दोबस्ती के पूर्व सर्वसाधारण से आवेदन प्राप्त करने हेतु किसी प्रकार की कोई सार्वजनिक सूचना कार्यालय सूचनापट पर प्रदर्शित नहीं की गयी। इस आशय की सूचना दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशित नहीं कराया गया।

श्रीमती बिन्दु सिंह, मोहनपुर, देवघर (परिवादी) के दुकान आवंटन हेतु आवेदन, अंचलाधिकारी मोहनपुर द्वारा समर्पित प्रतिवेदन देखने के बाद ही अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर के द्वारा रिखिया हाट स्थित तीनों दुकानों की बन्दोबस्ती एवं किराया निर्धारण हेतु आदेश पारित किया गया।

श्री तुती राव के वारिसान को दुकान आवंटित करना था क्योंकि वे पूर्व से झोपड़ीनुमा दुकान बनाकर वहां व्यवसाय करते थे और बाद में सरकार द्वारा उक्त स्थान पर दुकान निर्मित किया गया था। तूती राव के वारिसान के रूप में श्री कैलाशचन्द्र राव को एक दुकान आवंटित करना उपयुक्त था परन्तु उनकी पत्नी एवं पुत्री के नाम से शेष दो दुकानों की बंदोबस्ती आपके द्वारा किया जाना इस आरोप को सिद्ध करता है कि श्री सिंह द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र रूप से उक्त तीनों दुकानों के आवंटन का निर्णय नहीं लिया गया। इस पक्षपातपूर्ण निर्णय को यथोचित, विधिसम्मत एवं युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता है और श्री सिंह का यह कृत्य अखिल भारतीय सेवाएँ (आचार) नियमावली, 1968 के नियम-3 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-7644 दिनांक 12.10.2018 के द्वारा श्री उमा शंकर सिंह, भा.प्र.से. के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु डॉ० नितीन मदन कुलकर्णी, भा.प्र.से.(झाः1995), सचिव, स्वास्थ्य, चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। इस विभागीय कार्यवाही में उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में श्री अंजनी कुमार दूबे, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता, देवघर को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री दूबे के स्थानान्तरण हो जाने के पश्चात श्री चन्द्र भूषण सिंह, अपर समाहर्त्ता, देवघर को विभागीय संकल्प संख्या-7575 दिनांक 18.09.2019 द्वारा उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

डॉ० नितीन मदन कुलकर्णी, भा.प्र.से. (झाः1995), सचिव, स्वास्थ्य, चि०शि० एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही के संचालन के उपरान्त जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसमें श्री सिंह के विरूद्ध अंकित कोई भी आरोप को प्रमाणित नहीं माना गया है।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षोपरान्त राज्य सरकार द्वारा श्री सिंह को उनके विरूद्ध गठित आरोपों से मुक्त करते हुए उनके विरूद्ध चलायी गयी विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 1003 -- 50